



## माननीय राजस्व मंडल म०प्र० गवालियर के न्यायालय में

श्रीमती मधुबाला पति ज्ञानप्रकाश निरोले

निवासी- डी.एम.37,38 सुखलिया, हीरा नगर इंदौर।

---- प्रार्थीनी

विरुद्ध

- R - 1767-PBP/13
- 1) आफशा पिता डॉ. अमजद अली
  - 2) श्रीमती सुरेया निलोफर मृतक तर्फे  
डॉ. अमजद अली पिता मो. असगर अली
  - 3) करणसिंह पिता भागीरथ
  - 4) अम्बाराम पिता भागीरथ

श्री पी.जी.पाठक तीनों निवासी- ग्राम असरावद खुर्द, तहसील जिला इंदौर। --- प्रतिप्रार्थीगण

जनिमापक द्वारा आज दिनांक 25-4-13 को इन्हें कैप पर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

उस्तुति।

GJmg

25-4-13

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 144/निगरानी/08-09 में दिनांक 30/03/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीनी की ओर से यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

Om

19/10/15

अमेदक की ओर से सूचना उपर्युक्त  
कोई उपरिक्षण नहीं। तीन बार पुलाइलगपाल  
गयी; फिर भी कोई उपरिक्षण नहीं। अमेदक  
की अनुपरिक्षणि में उबोन अद्व्य पैटवी में  
रबरिज विचार जलाई गई।

मा

उपरिक्षणि